

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 398]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2022—श्रावण 4, शक 1944

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2022

क्रमांक एफ-01-08/2022/बीस-1/:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018" में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

:: संशोधन ::

उक्त नियमों में, नियम 11 में,-

- 1- उप नियम (2) में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए।
- 2- उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए अर्थात्
"(5) शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंको का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा, अर्थात्:-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ वर्ग/दिव्यांग व्यक्ति/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य पिछड़ा अन्य
(1)	(2)
50 प्रतिशत	60 प्रतिशत

N0.F 01-08/2022/20-1:: In exercise of the powers conferred by Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh here by makes the following amendments in the Madhya Pradesh School Education service (Teaching Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, in rule11,

1. in sub rule(2),for the words " three years " the words" five years" shall be substituted.
2. for sub rule(5), the following sub rule shall be substituted, namely:-

" (5) The category wise minimum percentage of marks to qualify in the Teacher Eligibility Examination shall be as under, namely:-

Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Persons with disabilities / Economically weaker sections	Others
(1)	(2)
50 %	60 %

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. एल. मण्डलोई, उपसचिव.